


बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-6/अ0प्र0-01-01/2021 2821 विभागीय अधिसूचना संख्या -2727 सहपटित ज्ञापांक 2739 दिनांक 30.06.2021 (क्रमांक-28) को विलोपित करते हुए श्री विमल कुमार, गृह जिला-कटिहार, प्राक्कलन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, बरबीघा, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

श्री विमल कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान में प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के प्रभार में भी रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-01-01/2021- 2822

पटना, दिनांक- 30-06-2021


प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-01-01/2021- 2822

पटना, दिनांक- 30-06-2021

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव




ज्ञापांक-6/अ0प्र0-01-01/2021-

2822

पटना, दिनांक- 30-06-2021

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


30/6/2021
विशेष सचिव

ज्ञापांक-6/अ0प्र0-01-01/2021-

2822

पटना, दिनांक- 30-06-2021

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/वित्त विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी /उप विकास आयुक्त/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1. इस अधिसूचना के निर्गत होने के साथ ही उपर्युक्त पदस्थापन स्थान के संबंध में पूर्व में निर्गत अन्य अधिसूचना/कार्यालय आदेश/निदेश विलोपित समझे जायेंगे।
2. (क) यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित हो तो सीधे विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को संबोधित कर शुद्धिपत्र निर्गत करने का अनुरोध किया जाए।

(ख) संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता अपने नव पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे।

(ग) नव पदस्थापित स्थान पर प्रभार मिलने में अगर कोई कठिनाई हो तो विभागीय विशेष सचिव से सीधे सम्पर्क स्थापित कर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाय।

(घ) स्थानान्तरण आदेश के अनुपालन में किसी प्रकार की कोताही या विलम्ब अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

(ड.) इस अधिसूचना के सभी पृष्ठ विशेष सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित हैं।




30/6/2021
विशेष सचिव